न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्या: 36/23 दायर दिनांक: 03.11.2023
जीसीएमएस नं. 2023/344

तस्वीरा पत्नि श्री तुरसी जाति गुर्जर नि. सिंघरावली, तह. वैर जिला भरतपुर राज.

—प्रार्थीया

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता– 1.श्री मनोज कुमार पाण्डेय —प्रार्थीया
2.पैरोकार सरकार —अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 11.07.2024

प्रार्थीया द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या 82 ख.नं. 20 रकबा 0.33 हैक्टे. वाके ग्राम नंगला धवला पटवार हल्का बारौली तह. भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है।

आराजी वर्तमान खाता संख्या 82 ख.नं. 20 रकबा 0.33 हैक्टे. जिसका पुराना खाता संख्या 34 खसरा संख्या 462/32/43 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा को प्रार्थीया ने निरंजन पुत्र मेवसिंह जाति माली से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया था जिस पर रजिस्ट्री के आधार पर प्रार्थीया के नाम नामान्तरकरण भी हो चुका है।

प्रार्थीया के वर्तमान खाता संख्या 82 ख.नं. 20 रकबा 0.33 हैक्टे. जिसका पुराना खाता संख्या 34 खसरा संख्या 462/32/43 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा एवं प्रार्थीया के उक्त आराजी के चपेटा वर्तमान खाता संख्या 29 खसरा संख्या 17 रकबा 0.33 हैक्टे. जिसका पुराना खाता संख्या 41 व ख.नं. 462/32/43 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा एवं वर्तमान खाता संख्या 31 ख.नं. 18, 19 कुल रकबा 0.33 हैक्टे. जिसका पुराना खाता संख्या 37 व ख.नं. 462/32/43/02 जिसका रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा है। इस प्रकार प्रार्थीया के वर्तमान आराजी ख.नं. 20 के क्षेत्रफल 0.33 हैक्टे. के चपेटा अन्य ख.नं. 17 का भी क्षेत्रफल 0.33 हैक्टे. है एवं ख.नं. 18,19 का भी क्षेत्रफल 0.33 हैक्टे. है। जबकि सैटलमेन्ट विभाग ने नक्शा ट्रेस में ख.नं. 17 व 18,19 से कम क्षेत्रफल प्रार्थीया के ख.नं. 20 का दर्शाया है जबकि ख.नं. 17 का क्षेत्रफल 0.33 हैक्टे. व 18,19 का मिलाकर क्षेत्रफल 0.33 हैक्टे. एवं प्रार्थीया के ख.नं. 20 का क्षेत्रफल भी इन ख.नं. 17 व 18,19 के बराबर है। इस प्रकार सैटलमेन्ट विभाग ने मौके के बिल्कुल विपरीत नक्शा ट्रेस तैयार किया है।

प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया है कि नक्शा ट्रेस में ख.नं. 20 का क्षेत्रफल कम दर्शाकर गलत चित्रण किया गया है उसे सही किया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई। नोटिस की ताईद में तहसीलदार, भुसावर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड जैसे नकल जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस, आधार कार्ड आदि का भली–भाँति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

—— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख. नं. 20 रकबा 0.33 हैक्टे. वाके ग्राम नंगला धवला (बारौली) तह. भुसावर का नक्शा ट्रेस में चपेटा ख.नं. 17, 18 व 19 के बराबर के क्षेत्रफल अनुसार नक्शा ट्रेस में दर्शाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)